भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +1092

सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

तमिलनाडु में इको-पर्यटन को प्रोत्साहन देना

+1092. श्री ए. राजा:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में इको-पर्यटन को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवंटित और खर्च की गई धनराशि कितनी है;

(घ) अगले 10 वर्षों में इको-पर्यटन और अपेक्षित राजस्व सृजन के संबंध में लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) विगत तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से नीलगिरी के लिए इको-पर्यटन के लिए तमिलनाडु राज्य को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ): पर्यटन मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु सहित देश में विकास हेतु ईको-पर्यटन को निश पर्यटन क्षेत्रों में से एक के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

ईको पर्यटन सहित पर्यटन के संवर्द्धन और विकास का प्राथमिक रूप से दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। देश में ईको पर्यटन के विकास की संभावनाओं को स्वीकारते हुए पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 थीमेटिक परिपथों में से एक के रूप में "इको परिपथ" को अभिज्ञात किया है।

स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है और उन्हें संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, निधियों की उपलब्धता और पहले

जारी की गई निधियों के उपयोग की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति और उनकी स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है।

स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ थीम के तहत देश में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

ईको पर्यटन के तहत विकास के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार से पर्यटन मंत्रालय को कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय परिस्थितिकीय रूप से स्थाई तरीके से पर्यटन के विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की अखंडता के रखरखाव पर बल देता रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग के प्रमुख वर्गों यथा आवास, टूर ऑपरेटरों, बीच, बैकवॉटर्स, झील तथा नदी आदि क्षेत्रों के लिए भारत के लिए स्थाई पर्यटन मानदंड (एसटीसीआई) तैयार किए हैं जो तमिलनाडु सहित पूरे देश पर लागू होते हैं। यह मानदंड विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। पर्यटन मंत्रालय ने टूर ऑपरेटरों, एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, यात्रा एजेंटों आदि जैसे अनुमोदित सेवाप्रदाताओं के लिए सुरक्षित एवं स्थाई पर्यटन हेतु आचार संहिता का अनुपालन अनिवार्य कर दिया है।

****

अनुबंध

तमिलनाडु में इको-पर्यटन को प्रोत्साहन देना के सम्बन्ध में दिनांक 26.07.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +1092 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में **विवरण**

पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ थीम के तहत विकास के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की सूची (करोड़ रुपये में)

राज्य/स्वीकृति का वर्ष	**विवरण**	**स्वीकृत राशि**
उत्तराखंड (2015-16)	टिहरी झील के आसपास टिहरी-चंबा-सरैन में परिपथ का विकास।	69.17
तेलंगाना (2015-16)	महबूबनगर जिले (सोमसिला, सिंगोटम, कडलाईवनम, अक्कमहादेवी, इगलनपंता, फराहाबाद, उमा महेश्वरम, मल्लेलातीर्थम) में परिपथ का विकास	91.62
केरल (2015-16)	पथानामथिट्टा- गावी- वागामोन-थेक्कडी का विकास	76.55
मिजोरम (2016-17)	आइजोल-रॉपुइचिप-खावफावप-लेंगपुई- डर्टलांग चटलांग-सकवरहमुइतुएतलांग- मुथी- बेरातलांग-तुइरियल एयरफील्ड-हमुइफांग में इको-एडवेंचर परिपथ का विकास	66.37
मध्य प्रदेश (2017-18)	गांधीसागर बांध- मंडलेश्वर बांध- ओंकारेश्वर बांध- इंदिरा सागर बांध- तवा बांध-बरगी बांध- भेड़ाघाट-बाणसागर बांध- केन नदी का विकास।	94.61
झारखंड (2018-19)	दलमा - चांडिल- गेतालसूद- बेतला राष्ट्रीय उद्यान- मिरचैया-नेतरहाट का विकास	52.72

****